भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2896
18 **मार्च**, 2025 **को उत्तर के लिए**

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी

2896. **श्री असादुद्दीन ओवैसी**:
श्री रामप्रीत मंडल:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के प्रारंभ से इसके अंतर्गत बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार सामाजिक वर्गवार, धार्मिक समूहवार, लिंगवार और वर्षवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामाजिक वर्ग, धार्मिक समूह लिंगवार और वर्षवार बिहार सहित राज्य / संघ राज्यक्षेत्रवार संवितरित सहायता और व्यय की गई राशि कितनी है;

(ग) महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित सीमांत समूहों के लिए पीएमएमएसवाई के लाभों को सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए है; और

(घ) क्या इस योजना के तहत बिहार से प्राप्त आवेदन लम्बित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार मात्स्यिकी और जल कृषि के समग्र विकास के लिए बिहार राज्य सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए एक प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रहा है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए 20,990.79 करोड़ रुपए की राशि के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बिहार सरकार से प्राप्त तकनीकी-वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर, राज्य में फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर और मछुआरों के कल्याण सहित मात्स्यिकी और जल कृषि के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत 4 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 173.65 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 547.13 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत परियोजनाओं से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला लाभार्थियों सहित कुल 58 लाख लाभार्थियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुमान है। पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को मात्स्यिकी विकास गतिविधियों की मुख्य धारा में लाने के लिए 60 प्रतिशत की उच्च वित्तीय सहायता के साथ समावेशी विकास प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लाभ के लिए 663.75 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 1719.20 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लाभ के लिए 680.93 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 1538.99 करोड़ रुपए की परियोजनाएं तथा महिलाओं के लाभ के लिए 1504.83 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 3973.14 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई वर्षवार केंद्रीय निधियां नीचे दी गई हैं:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कुल धनराशि	अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थियों के लाभ के लिए जारी धनराशि	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों के लाभ के लिए जारी धनराशि
1.	2020-21	699.72	116.99	62.38
2.	2021-22	1169.14	179.65	108.43
3.	2022-23	1169.86	189.83	103.19
4.	2023-24	1148.88	185.80	133.91
5.	2024-25 (आज तक)	966.32	122.31	173.68

*****